

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- ई-32/स्वा./स्वा.निरी./ (1011)/2019/

दिनांक:-

आदेश

श्री रमेश कुमार टाक, स्वास्थ्य निरीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के अधीन कार्यरत थे, की दिनांक. 21.05.2019 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप इनका नाम राज्य सेवा से पृथक् किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री रमेश कुमार टाक, स्वास्थ्य निरीक्षक, के विरुद्ध आगम दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई भी विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया भी कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

sl
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- ई-32/स्वा./स्वा.निरी./ (1011)/2019/399

दिनांक:- 25/6/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
2. सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन- जोधपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक: 11002-06 दिनांक 04.06.2019 के सन्दर्भ में प्रेषित कर लेख है कि स्व0 श्री टाक स्वा0 निरी0 के आश्रितों को देय समस्त परिलाभों का नियमानुसार भुगतान कराते हुये, की गयी कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र अवगत करावे।
4. श्री लोकेश टाक, पुत्र स्व0 श्री रमेश टाक, भगत सिंह मार्ग राठी भवन, नागौरी गेट, जोधपुर।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
6. आदेश पत्रावली।

7
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।